निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा आर ए एस उपखंड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या:- 19/2016
दायरा दिनांक:-15.02.2016
निर्णय दिनांक:- 25.04.2022

उनवान

कजोड़ पुत्र किशनलाल जाति रेगर निवासी आकेड़ा तहसील बारां मृतक
1/1 रामस्वरूप पुत्र कजोड़ जाति रेगर निवासी आकेडा
1/2 मेघराज पुत्र कजोड़ जाति रेगर निवासी आंकेड़ा तहसील बारां जिला बारां

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बारां

वाद पत्र धारा 88,89,188 आर टी एक्ट
निर्णय दिनांक:- 25.04.2022

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीई एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम खेड़ा तहसील बारां के खसरा नंबर 536 रकवा 0.92 हेक्टेयर खसरा नंबर 547 रकवा 0.17 कुल दो किता रकवा 1.09 हेक्टेयर स्थित है जिसके साबित खसरा नंबर 386/ 3 रखवा 6 .12 बीघा है उक्त आराजीयात वर्तमान में भंवरलाल पुत्र हीरालाल जाति सहर निवासी आंकेड़ा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी द्वारा उक्त वर्णित आराजी को जरिए इकरारनामा दिनांक 23-5- 1983 को खातेदार श्री भंवरलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति सहर निवासी आंकेड़ा से खरीद की थी बाद खरीद खातेदार विक्रेता द्वारा वादी को मौके पर कब्जा एवं दखल भी उसी समय दे दिया तथा उसके बाद खातेदार भंवरलाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा खातेदार लाओलाद फोत हुआ है जिसके कोई संतान व पत्नी नहीं थी वादी बाद खरीद से उक्त आराजी पर आज तक निरंतर बिना किसी बाधा व रुकावट के काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा वादी की अभी भी वर्तमान में उक्त आराजी में सोयाबीन की फसल खड़ी हुई है जो वादी के देखरेख में परवरिश हो रही है जो कटने लायक हो चुकी है खातेदार लाओलाद फोत हो जाने के कारण उक्त वादी द्वारा खरीद शुदा जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है तथा वादी ने कई बार राजस्व कर्मचारियों से उक्त इकरारनामा के आधार पर उक्त आराजी को वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया किंतु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया वादी बाद खरीद से काबिज काश्त हैं जिसको करीबन 32 साल हो चुके हैं तथा वादी उक्त खरीद शुदा आराजी को अपने को खाते[illegible]त करवा कर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का वैधानिक [illegible] नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ना होने के कारण वादी को काफी परेश[illegible]ना पड़ता है वादी ने दिनांक 23.09. 2015 को प्रतिवादी क्रम एक के राज्य कर्मचारियों द्[illegible] वादी का नाम राज[illegible]कॉर्ड में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:17:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

करने से मना करने पर दिनांक 23.09. 2015 को बारां तहसील बारां में अंतिम बार बाद कारण उत्पन्न हुआ वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिभागी को जरिए नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश किया गया प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में बताया कि वाद में अंकित भूमि का विक्रय पत्र पंजीकृत नहीं है खातेदार फोत होने से पहले पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीदा जा सकता है फोत होने पर संबंधित वारिसान को वारिस बनाया जाकर विक्रय पत्र अनुसार ही वादी का नाम खाते में दर्ज किया जा सकता है इसके बिना सरकार का स्टांप ड्यूटी पंजीयन शुल्क की हानि सरकार को होगी खातेदार फोत हो गया है यदि कोई वारिस नहीं हो तो भूमि राज गामी घोषित किए जाने के राज नियमों में प्रावधान है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम आंकेड़ा संवत 2066 से 69 खाता संख्या 162 नकल जमाबंदी ग्राम आंकेड़ा संवत 2034 से 37 खाता संख्या 94 नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2038 से 57 नकल इकरारनामा दिनांक 23-5 1983 पेश की गई साक्ष्य वादी में pw1 रामस्वरूप pw2 मेघराज के बयान कराए गए।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के अनुसार निम्न तनकीयात कायम की गई:-

1. आया कि विवादित आराजी ग्राम आंकेड़ा खाता संख्या 162 किता दो रकबा 1.09 हेक्टेयर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भंवरलाल पुत्र हीरालाल सहर निवासी आंकेड़ा के खाते दर्ज है। वादी

2. आया कि विवादित आराजी का साबित खसरा नंबर 386/ 3 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा है जो खातेदार भंवरलाल ने जरिए इकरारनामा दिनांक 23-5-1983 से बेचान कर कब्जा वादी को समला दिया था तभी से वादी काबिज काश्त है। वादी

3. आया कि खातेदार भंवरलाल लाऔलाद फोत हुआ तथा उसका अन्य कोई वारिस मौजूद नहीं है। वादी

4. आया कि वादी विवादित आराजी पर अपनी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा पाने का अधिकारी है। वादी

5. आया कि खातेदार का कोई वारिस मौजूद नहीं होने से भूमि राज गामी घोषित किए जाने योग्य है। प्रति0

6. अनुतोष क्या होगा

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी ग्राम आकेड़ा में स्थित है जो भंवरलाल पुत्र हीरालाल जाति सहर निवासी आंकेड़ा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उक्त आराजी [illegible] दिनांक 23.09. 1983 को खातेदार भंवरलाल पुत्र हीरालाल से जरिए इकरारनामा [illegible] बाद खरीद खातेदार विक्रेता द्वारा वादी को मौके पर कब्जा [illegible] गया वादी का आराजी पर दिनांक 23.09.1983 से कब्जा काश्त चला आ रहा है खातेदार भंवरलाल की मृत्यु लाऔलाद हुई थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:17:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

उसके कोई संतान व पत्नी नहीं थी खातेदार की लाऔलाद फोत हो जाने के कारण वादी खरीद शुदा भूमि की रजिस्ट्री नहीं करा पाया वादी ने कई बार राज्य कर्मचारियों से इकरारनामा के आधार पर विवादित भूमि को खाते दर्ज करने का निवेदन किया परंतु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया वादी का वाद स्वीकार कर मुताबिक इकरारनामा वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया वादी के वाद का तनकी बार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है:-

तनकी नं0:-1 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम आंकेड़ा संवत 2066 से 69 खाता संख्या 162 के अनुसार भंवरलाल पुत्र हीरालाल कॉम सहर साकिन देह की खातिरदारी में दर्ज होना पाया जाता है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी भंवरलाल पुत्र हीरालाल जाति सहरिया के खातेदारी की थी । अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2:- इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था नकल जमाबंदी ग्राम आंकेड़ा संवत 2034 से 2037 खाता संख्या 94 में भंवरलाल पुत्र हीरालाल कौम सहरिया का नाम दर्ज होना पाया जाता है नकल इकरारनामा दिनांक 23.05.83 के अनुसार भंवरलाल पुत्र हीरालाल जाति सहर निवासी आंकेड़ा तहसील बारां हाल निवासी रामगढ़ तहसील किशनगंज द्वारा खसरा नंबर 386/3 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा व 386 रकवा 17 बिस्वा कुल 6 बीघा 12 बिस्वा ₹80000 में कजोड़ पुत्र किशनलाल जाति ऐरवाल निवासी आंकेड़ा को बेचान कर दी गई थी खातेदार भंवरलाल द्वारा इकरारनामा लिखवाया गया खातेदार भंवरलाल सहरिया जाति का व्यक्ति है तथा क्रेता अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से बेचान नहीं किया जा सकता है खातेदार द्वारा जो बेचैन किया गया है वह गलत किया गया है अतः यह तनकी वादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है

तनकी नं0:-3 इस तनकी को साबित करने का भार वादी गण पर था वादी द्वारा भंवर लाल लाओलाद फोत होना तथा उसका कोई वारिस मौजूद नहीं होने बाबत ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि खातेदार भंवरलाल ला औलाद फोत हुआ है वादी द्वारा लाओलाद होना साबित करने में विफल रहे हैं अतः यह तन की बादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4:- इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था वादी द्वारा इकरारनामा के आधार पर विवादित भूमि अपनी खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया है परंतु वादी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा खातेदार सहरिया जाति का व्यक्ति है सहरिया जाति के व्यक्ति की भूमि अन्य किसी जाति के व्यक्ति को बेचान नहीं की जा सकती वादी द्वारा खातेदार भंवर लाल लाऔलाद फोत हुआ है उसका कोई बारिश नहीं होना बताया है बादी इकरारनामा के आधार पर भूमि पर अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि खातेदार सहरिया जाति का व्यक्ति होने के व सहरिया जाति के व्यक्ति की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:17:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

का बेचान अन्य किसी जाति के व्यक्ति को बेचान नहीं किया जाता। अतः यह तनकी वादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5:- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था। तहसीलदार बारां के जवाब के अनुसार वाद में अंकित भूमि का विक्रय पत्र पंजीयन नहीं है खातेदार फोत होने से पहले पंजीयन विक्रय पत्र से खरीदा जा सकता था फोत होने पर संबंधित वारिसान को हिंदू उत्तराधिकारी कानून अनुसार वारिस बनाया जाकर विक्रय पत्र अनुसार ही वादी का नाम खाते में दर्ज किया जा सकता है इसके बिना सरकार का स्टांप ड्यूटी पंजीयन शुल्क की हानि सरकार को होगी यदि खातेदार फोत हो गया जिसका कोई बारिश नहीं हो तो भूमि राजगामी घोषित की जा सकती है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचानुसार वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लियाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

(दिवांशु शर्मा)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:17:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 19/2016	धारा अन्तर्गत 88, 89, 188 आर टी एक्ट,	निर्णय दिनांक :– 25.04.2022
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री बृजराजसिंह चौहान	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. कजोड़ पुत्र किशनलाल जाति रेगर निवासी आकेड़ा तहसील बारां मृतक
1/1 रामस्वरूप पुत्र कजोड़ जाति रेगर निवासी आकेडा
1/2 मेघराज पुत्र कजोड़ जाति रेगर निवासी आंकेड़ा तहसील बारां जिला बारां

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

उपरोक्त विवेचानुसार वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. 25.04.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

		व्ययानुतोष	
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:17:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner